



9. पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण हेतु की गई न्यायालयीन कार्यवाही

विचाराधीन वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित उद्योगों/संस्थानों के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण दायर किये गये:-

क.	उद्योग/ संस्थान का नाम	प्रकरण क्र. / दायर करने का दिनांक एवं क्रमांक	अधिनियम की धारा	दायर करने का कारण
1	मेसर्स टाटा इंटरनेशनल लि.देवास	3440 / 14	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-41 व 47	जल अधिनियम की धाराओं के उल्लंघन बाबत
2	नगर निगम आयुक्त खण्डवा (स्लाटर हाउस)	19.04.14	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1974	(नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000) का उल्लंघन
3	मेसर्स मोण्डलेज इण्डिया लि. (पूर्वनाम-कैडबरी इण्डिया लि.) औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर जिला भिण्ड	306 / 2014 23. 04.2014	जल अधिनियम 1974 की धारा 43,44 एवं 49	जल अधिनियम की धारा 24व 25/26 के उल्लंघन बाबत
4	मे. वीनस इंजीनयरिंग प्लाट क. 8-एफ, सेक्टर-3, औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर जिला-धार	1110 / 14 15.05.2014	जल अधिनियम 1974 की धारा 2 5,44 एवं 47	दूषित जल उपचार संयंत्र की सीपना न करना व निस्त्राव का परिसर से बाहर निस्त्राव करना।
5	मे. त्रिमुला इण्डस्ट्रज लि.मि, ग्राम गोदवाली, तह. देवसर, जिला-सिंगरौली	1386 / 14 31.05.2014	वायु अधिनियम 1981 की धारा 37,38,39 एवं 40	वायु सम्मति शर्तों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं करने के कारण।
6	मे. प्रतिभा सिन्टेक्स प्रा.लि. प्लाट क. 4, इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ संटर खेड़ा सेक्टर-3, औद्योगिक क्षेत्र, खेड़ा पीथमपुर, जिला-धार	00 / 14 23.06.2014	जल अधिनियम 1974 की धारा 25,44,एवं 47	दूषित जल उपचार संयंत्र का संचालन ठीक से नहीं होने एवं दूषित जल परिसर से बाहर निस्त्राव करना।
7	नगर पालिक निगम कटनी	1960 /2014 14. 07.2014	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 16 एवं 17 के अन्तर्गत	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन बाबत



8	मे. मेडीलक्स लेबोरेटरीज प्रा.लि. प्लाट क. 99, सेक्टर-1, औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर, जिला-धार	1756 / 14 14.07.2014	जल अधिनियम 1974 की धारा 43 एवं 44	बिना सम्मति प्राप्त किये विस्तारीकरण करना।
9	मे. गुप्ता हास्पिटल प्लाट कं. 5-7, एम.आय.जी.मांडव रोड, जिला-धार	1755 / 14 15.07.2014	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत सहपठित धारा 17	जीव चिकित्सा अपशिष्ट अधिनियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किये अस्पताल प्रारंभ करने बाबत। पालन न करने के कारण।
10	श्री अरविंदो इंटीरियूट ऑफ मेडिकल साईंस हॉस्पिटल, इन्दौर	22608 / 14 17.07. 2014	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लंघन
11	नगर निगम आयुक्त, इन्दौर	24.07.14	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15	(नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000) का उल्लंघन
12	नगर पालिका परिषद् मंडीदीप, जिला-रायसेन	अंडर रजिस्ट्रेशन 31.07.2014	जल अधिनियम धारा-24,25,26,43,44 एवं 45 ए	बिना सम्मति एवं मानकों से अधिक प्रदूषित सीवेज का बेतवा नदी में निस्सारण।
13	मे. पारले एगो इण्डस्ट्री, मंडीदीप, रायसेन	अंडर रजिस्ट्रेशन 31.07.2014	जल अधिनियम की धारा-24,44 एवं 45 ए एवं वायु अधिनियम की धारा-21,37 एवं 39	सम्मति शर्तों का उल्लंघन।
14	मे. एसएसए इंटरनेशनल, मंडीदीप, रायसेन	अंडर रजिस्ट्रेशन 31.07.2014	जल अधिनियम की धारा-25,44 एवं 45 ए	जीरो डिस्चार्ज की सम्मति शर्त का उल्लंघन।
15	मे. एशोसियेटेड प्युरीफायर, मंडीदीप, रायसेन	अंडर रजिस्ट्रेशन 31.07.2014	जल अधिनियम की धारा-24, 44 एवं 45 ए एवं वायु अधिनियम की धारा-21,37 एवं 39	बिना सम्मति उद्योग का संचालन करना।
16	मे. आर.बी.आर.टेक्नालॉजी, मंडीदीप, रायसेन	अंडर रजिस्ट्रेशन 31.07.2014	जल अधिनियम की धारा-25, 44 एवं 45 ए	जीरो डिस्चार्ज की सम्मति शर्त का उल्लंघन।
17	मे. हर्षे इंडिया प्रा.लि. मंडीदीप रायसेन	अंडर रजिस्ट्रेशन 31.07.2014	जल अधिनियम की धारा-24, 44 एवं 45 ए एवं वायु अधिनियम की धारा-21,37 एवं	सम्मति शर्तों का उल्लंघन।



18	मे. मोइनस टेक्टाईल प्रा.लि., मंडीदीप रायसेन	अंडर रजिस्ट्रेशन 31.07.2014	जल अधिनियम की धारा-24, 44 एवं 45 ए एवं वायु अधिनियम की धारा-21,37 एवं 39	सम्मति शर्तों का उल्लंघन।
19	मे. सी.जे.जिलेटिन लि. मंडीदीप, रायसेन	अंडर रजिस्ट्रेशन 31.07.2014	जल अधिनियम की धारा-25, 44 एवं 45 ए	मानकों से अधिक प्रदूषित दूषित जल का निस्सारण।
20	मे. जयदीप ग्लास वर्क्स प्रा.लि. (यूनिट-1) प्लाट क्र. 418,419 सेक्टर-3, औद्योगिक क्षेत्र, खेड़ा पीथमपुर, जिला-धार	2082 / 14 11.08.2014	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 41	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-33 "क"के तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन।
21	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लि. पीथमपुर जिला-धार	2081 / 14 11.08.2014	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 41	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-33 "क"के तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन।
22	होटल जहाज महल प्रा.लि. ग्राम-सागर, माण्डव जिला-धार	2096 / 14 12.08.2014	जल अधिनियम 1974 की धारा 25,26,44 एवं 47	बिना जल सम्मति प्राप्त किये होटल संचालन करना।
23	मे. जयदीप ग्लास वर्क्स प्रा.लि. (यूनिट-1) प्लाट क्र. 418,419 सेक्टर-3, औद्योगिक क्षेत्र, खेड़ा पीथमपुर, जिला-धार	00 / 14 11.08.2014	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-31 "क" के तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन।
24	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लि. पीथमपुर जिला-धार	00 / 14 14.08.2014	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-31 "क" के तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन।
25	मे. खनेजा, पॉपर्टीज प्रा.लि. (कामर्शियल काम्पलेक्स प्रोजेक्ट) द्वारा प्रोजेक्टर इंजीनियर, ग्राम बैरागढ़ चिचली, तहसील हुजूर, जिला-भोपाल	1747 / 2015 20.08.2014	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना भवन निर्माण कार्य करना।



26	जे.के. हास्पिटल, कोलार रोड, भोपाल	12609 /14 20.08.2014	जल अधिनियम की धारा-25, 44 एवं 45 ए एवं वायु अधिनियम की धारा-21,37 एवं 40	बिना संचालन सम्मति के ई.टी.पी./एस.टी.पी. का संचालन करना।
27	रीगल टाउन (रीगर होम्स का हाउसिंग प्रोजेक्ट) ग्राम-खजूरीकलां, तहसील हुजूर, जिला-भोपाल	12604 /14 20.08.2014	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना परियोजना में निर्माण कार्य करना।
28	मे. एडवांश मेडिकल साईंस एंड एज्युकेशनल सोसायटी, ग्राम इनायतपुर, तहसील हुजूर, जिला-भोपाल	12600 /14 20.08.2014	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना परियोजना में निर्माण कार्य करना।
29	मे. अग्रवाल बिल्डर्स (सागर लेक व्यू होम्स) ग्राम हताईखेड़ा, तहसील हुजूर, जिला-भोपाल	12602 /14 20.08.2014	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना परियोजना में निर्माण कार्य करना
30	मे. राय होम्स यूनिवर्सल प्रा.लि. (राय पिक सिटी फेज-2) ग्राम बोरदा, तहसील हुजूर, जिला-भोपाल	12607 /14 20.08.2014	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना परियोजना में निर्माण कार्य करना।
31	ग्वालियर विकास प्राधिकरण (माधव कर्मशियल कॉम्प्लेक्स) ग्वालियर	22.08.14	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,16	पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बगैर निर्माण कार्य किये जाने बाबत।
32	मे. प्रभातम इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लि. (प्रभातम हाइट्स) ग्राम खजूरीकलां, वार्ड नंबर-59, भोपाल	12601 /14 18.09.2014	पर्यावरण (सं रक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा- 15 व 16	पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना परियोजना में निर्माण कार्य करना
33	मे. विन विन ऑटोमोबाईल्स प्रा.लि. एनएच.-12 मिसरोद जिला-भोपाल	12599 /14 18.09.2014	जल अधिनियम की धारा- 25,44 एवं 45 ए	बिना सम्मति एवं मानकों से अधिक प्रदूषित दूषित जल का निस्सारण।
34	मे. शिरानी ऑटोमोटिव प्रा.लि. (वाक्सवैगन ग्रुप इंडिया प्रा.लि.) 4056-अहमदपुर दरगाह के पास होशंगाबाद रोड, भोपाल	12606 /14 18.09.2014	जल अधिनियम की धारा- 25,44 एवं 45 ए	बिना सम्मति एवं मानकों से अधिक प्रदूषित दूषित जल का निस्सारण।
35	शेरानी ऑटोमोबाईल, इन्दौर	31693 /14 28.09.2014	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 24,25,40,44,47	जल अधिनियम का उल्लंघन

36	मे. फारचून सौम्या हाउसिंग (फारचून सौम्या हेरिटेज), फारचून हाउस 157, जोन-1 एम.पी.नगर, भोपाल	6454 / 14 04.10.2014	जल अधिनियम की धारा-25, 44 एवं 47 एवं वायु अधिनियम की धारा-21,37 व 40	पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना परियोजना में निर्माण कार्य करना।
37	मे. फारचून बिल्डर्स (फारचून डिवाइन सिटी), ग्राम बरई, फारचून हाउस 157, जोन-1 एम.पी.नगर, भोपाल	6486 / 14 04.10.2014	जल अधिनियम की धारा-25,44,47 एवं वायु अधिनियम की धारा-21,37,40	सम्मति प्राप्त किये बिना परियोजना में निर्माण कार्य प्रारम्भ करना।
38	मे. फारचून बिल्डर्स (फारचून सिग्नेचर), ग्राम बरई, फारचून हाउस 157, जोन-1 एम.पी.नगर, भोपाल	6456 / 14 04.10.2014	जल अधिनियम की धारा-25,44,47 एवं वायु अधिनियम की धारा-21,37,40	सम्मति प्राप्त किये बिना परियोजना में निर्माण कार्य प्रारम्भ करना।
39	मे. फारचून सौम्या हाउसिंग (फारचून सौम्या अटलांटिक), फारचून हाउस 157, जोन-1 एम.पी.नगर, भोपाल	6480 / 14 04.10.2014	जल अधिनियम की धारा-25,44,47 एवं वायु अधिनियम की धारा-21,37,40	सम्मति प्राप्त किये बिना परियोजना में निर्माण कार्य प्रारम्भ करना।
40	मे. सिग्नेचर बिल्डर (सिग्नेचर रेसीडेंसी), ग्राम ब्रजारी, कोलार रोड तहसील हुजूर, भोपाल	6482 / 14 04.10.2014	जल अधिनियम की धारा-25,44,47 एवं वायु अधिनियम की धारा-21,37,40	सम्मति प्राप्त किये बिना परियोजना में निर्माण कार्य प्रारम्भ करना।
41	मे. फारचून सौम्या हाउसिंग (फारचून सौम्या ट्यूलिप ग्रीन्स), फारचून हाउस 157, जोन-1 एम. पी.नगर, भोपाल	6490 / 14 04.10.2014	जल अधिनियम की धारा-25,44,47 एवं वायु अधिनियम की धारा-21,37,40	सम्मति प्राप्त किये बिना परियोजना में निर्माण कार्य प्रारम्भ करना।
42	मे. सिग्नेचर इन्फ्रास्ट्रक्चर (सिग्नेचर सिटी), ग्राम बागली एवं बरई, कटारा हिल्स, तहसील हुजूर, जिला-भोपाल	6452 / 14 04.10.2014	जल अधिनियम की धारा-25,44,47 एवं वायु अधिनियम की धारा-21,37,40	सम्मति प्राप्त किये बिना परियोजना में निर्माण कार्य प्रारम्भ करना।
43	मं. फारचून बिल्डर्स (मारचून कस्तूरी) ग्राम-जाटखेड़ी, होशंगाबाद रोड, भोपाल	6516 / 14 07.10.2014	जल अधिनियम की धारा-25,44,47 एवं वायु अधिनियम की धारा-21,37,40	सम्मति प्राप्त किये बिना परियोजना में निर्माण कार्य प्रारम्भ करना।
44	मे. ओरियन्ट पेपर मिल अमलाई जिला शहडोल	2094 / 14 27.10.2014	जल अधिनियम 1974 की धारा 43,44,47	जल अधिनियम का उल्लंघन



45	मे. सिग्नेचर बिल्डर एंड कालोनाइजर (सिग्नेचर 360) ग्राम बरई, कटारा हिल्स, तहसील हुजूर, जिला-भोपाल	7079 / 14 29.10.2014	जल अधिनियम की धारा-25,44,47 एवं वायु अधिनियम की धारा-21,37,40	सम्मति प्राप्त किये बिना परियोजना में निर्माण कार्य प्रारम्भ करना।
46	मे. ग्रेसिम इंड.लि. (स्तेपल फाईबर डिवीजन) बिरलाग्राम नागदा जि. उज्जैन	31.10.14	जल अधिनियम की धारा 43 व 44 व 47 के अंतर्गत	जल अधिनियम का उल्लंघन
47	हाईवे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. (करुणा सागर टॉउनशिप) इन्दौर	36706 / 14 31.10. 2014	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लंघन
48	मे. ब्लॉक-बी प्रोजेक्ट एन.सी.एल. सिंगरौली	2956 / 14 2957 /14 01.11.2014	जल अधिनियम 1974 की धारा 44 तथा वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं 39	सम्मति क्षमता से अधिक उत्पादन करने एवं सम्मति शर्तों का पालन नहीं करने के कारण।
49	नगर पालिका होशंगाबाद	246 / 14 12.11.2014	जल अधिनियम की धारा 24,25,26,43,44,45 ए	बिना सम्मति एवं मानको से अधिक प्रदूषित सीवेज का नर्मदा नदी में निस्सारण।
50	कासलीवाल ऑटोमोबाईल, इन्दौर	39247 / 14 13.11. 2014	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 24,25,40,44,47	जल अधिनियम का उल्लंघन
51	नेचुरल सीमेंट लि. ग्राम-जैतपुरा, तह. मनावर जिला-धार	1114 /14 20.11.2014	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25,44, एवं 47 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 40	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-33 "क" तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-31 "क" के तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन। (बोर्ड की बिना जल एवं वायु सम्मति के उद्योग की उत्पादन क्षमता विस्तार)
52	नगर परिषद, मण्डलेश्वर	01.12.14	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 24,25,40,44,47	जल अधिनियम का उल्लंघन
53	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, महेश्वर	01.12.14	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम	जल अधिनियम का उल्लंघन



54	नगरपालिक निगम देवास	5670 / 14 01.12.2014	जल अधिनियम की धारा 43 व 44 व 47 के अंतर्गत	जल अधिनियम का उल्लंघन
55	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद्, औंकारेश्वर	02.12.14	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 24,25,26,33,44,48	जल अधिनियम का उल्लंघन
56	नगर पालिका परिषद्, अमरकण्टक	04.12.14	जल अधिनियम 1974 की धारा 43,44 एवं 47	जल अधिनियम के तहत सम्मति प्राप्त न करने बावत्
57	मे. एस.एन.एस. मिनरल्स लि. लाइम स्टोन एण्ड डोलोमाइट माइन ग्राम जमुवानीकल्स कटनी	6142 /2014 19. 12.2014	वायु अधिनियम 1981 की धारा 21,37,39 एवं जल अधिनियम 1974 की धारा 25,42,44 एवं 45 ए	जल/वायु अधिनियम का उल्लंघन
58	अमरकंटक थर्मल पॉवर स्टेशन चचाई	30.12.14	जल अधिनियम 1974 की धारा 43,44,47	जल अधिनियम का उल्लंघन
59	नगर पालिका, डिंडोरी	136 / 15 24.12.2014	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 43,44 एवं 47	जल अधिनियम के तहत सम्मति प्राप्त न करने बावत्
60	मेसर्स कृपा वेस्ट, श्री दीपक जैसवाल, सिवनी	3780/2014	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15, 16 एवं 19	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम का पालन न करने के कारण।
61	हाईवे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. (न्यूयॉर्क सिंटी निहालपुरमुंडी) इन्दौर	405 / 15 08.01.2015	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लंघन
62	नगर परिषद् भेड़ाघाट जिला जबलपुर	12.01.15	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-24,25,43,44 एवं 48 के अन्तर्गत	बिना सम्मति प्राप्त किये बगैर नगरीय निकाय से उत्पन्न जल मल को बगैर उपचार के नर्मदा नदी में निस्सारित करने के कारण।



63	नगर परिषद् गोविन्दगढ़, जिला-रीवा	28.01.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17	नगरीय ठोस अपशिष्ट अधिनियम 2000 के उल्लंघन बाबत्।
64	नगर परिषद् गुढ़, जिला-रीवा	28.01.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17	नगरीय ठोस अपशिष्ट अधिनियम 2000 के उल्लंघन बाबत्।
65	नगर परिषद् मनगर्वो, जिला-रीवा	28.01.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा अन्तर्गत 15,17	नगरीय ठोस अपशिष्ट अधिनियम 2000 के उल्लंघन बाबत्।
66	मे. दुधीबुआ प्रोजेक्ट, एन.सी.एल. सिंगरौली	3396 / 15 29.01.2015	जल अधिनियम 1974 की धारा 42 (2) एवं 44	जल सम्मति शर्तों के अनुसार उपचार व्यवस्था स्थापित नहीं करने के कारण।
67	नगर निगम आयुक्त, खण्डवा	29.01.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 (नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000)	(नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000) का उल्लंघन
68	नगर निगम आयुक्त, बुरहानपुर	29.01.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 (नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000)	(नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000) का उल्लंघन
69	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद्, नेपानगर	29.01.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 (नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000)	(नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000) का उल्लंघन
70	नगर पालिका, शहडोल	29.01.15	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 16	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के उल्लंघन के कारण।
71	मे. सिक्थूरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद	287 / 15 30.01.2015	जल अधिनियम की धारा-24,25,44,47 एवं वायु अधिनियम की धारा-21,37,40	सम्मति शर्तों का उल्लंघन एवं मानकों से अधिक प्रदूषित दूषित जल का निस्सारण।
72	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद्, बड़वाह	30.01.15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 (नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000)	(नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2000) का उल्लंघन

